न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

निगरानी प्रा0पत्र 14(4) संख्या 22/2021 बउनवानी सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

बनाम

रखल्या पुत्र लोहड़या जाति कुम्हार निवासी धनोली तहसील सवाईमाधोपुर

जीसीएमएस संख्या :– 2021/116

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
5.3.2024	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार राजस्व तहसीलदार(भू.अ.)एवं वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी रखल्या पुत्र लोहड़या जाति कुम्हार निवासी धनोली के पक्ष में ग्राम धनोली के साबिक ख0न0 593/3 रकबा 5.00 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 05.11.1975 को किया था। उक्त आवंटन के विरूद्ध आम जनता धनोली जरिये गिर्राज पुत्र श्री नारायण मीना निवासी धनोली द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर मे प्रस्तुत निगरानी 31/1977 उनवानी आम जनता बनाम मिश्रया मीना वगै निवासी धनोली वगै. पेश की गयी जिसका निर्णय दिनांक 13.4.1978 हुआ तथा अति0 जिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 13.4.1978 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय मे अपील संख्या 116/1979 दर्ज हुई जिसमे दिनांक 24.2.1979 को निर्णय पारित करते हुए आवंटन आदेश दिनांक 5.11.1975 यथावत रखा गया है उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 7/1979 दर्ज हुई जिसमे पारित निर्णय दिनांक 15.3.1986 मे भी उक्त आवंटन आदेश यथावत रखा गया है। पुनः न्यायालय हाजा मे निगरानी संख्या 130/1996 प्रस्तुत हुई जो दिनांक 31.7.1996 को खारिज करते हुए आवंटन आदेश दिनांक 05.11.1975 को यथावत रखा गया है। इस प्रकार उक्त आवंटन आदेश वर्तमान मे प्रभावी है। उक्त संबंध में पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त आवंटन आदेश 05.11.1975 वर्तमान में प्रभावी होने की जानकारी तत्कालीन तहसीलदार को नही होने एवं उक्त ख0न0 नम्बर पर वर्तमान में आवंटी का कब्जा नही है तथा उक्त ख0न0 वर्तमान मे आवंटी की गैर खातेदारी मे दर्ज होने के कारण पुनः यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जाने पर यह पाया गया है कि न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 31.7.1996 को पारित निर्णय में उक्त आवंटन आदेश दिनांक 05.11.1975 को यथावत रखते हुए उक्त सभी निर्णयो का अपने निर्णय में अंकन करते हुए बार–बार चुनौती दिया जाना गलत बताया गया है। तत्कालीन तहसीलदार द्वारा राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय की पालना करनी चाहिए थी या सक्षम न्यायालय में राजस्व मण्डल के निर्णय के विरूद्ध अपील करनी चाहिए थी जो नही की जाकर भारी भूल की है एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा आवंटन आदेश के साथ संलग्न निर्णय दिनांक 13.4.1978, 24.2.1979, 15.3.1986 31.7.1996 की प्रति का बिना अवलोकन किये ही उक्त निर्णय/आदेश की पालना सुनिश्चित करने या राजस्व मण्डल के निर्णय को सक्षम न्यायालय मे चुनौती दिये जाने के बजाय आवंटन नियम,1970 की धारा 14(4) के तहत इस न्यायालय मे पुनःनिगरानी प्रस्तुत की गयी है, जो न्यायोचित नही है। उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) से संबंधित पूर्व प्रकरणों मे न्यायालय हाजा एवं राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व मे निर्णय पारित किया जा चुका है इसलिए उक्त प्रकरण को सुनवायी का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। अतः उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र रेस ज्यूडीकेटा की श्रेणी मे होने के कारण खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है [illegible] राजस्व मण्डल एवं न्यायालय हाजा के निर्णय को पूर्व में किसी सक्षम न्याया[illegible] नही दी गयी है तो अब राजस्व मण्डल एवं न्यायालय हाजा के निर्णय [illegible] 1986 एवं 31.7.1996 को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जावे। पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से कम [illegible] बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। निर्णय आज दिनांक 05.3.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (डॉ0 खुशाल यादव) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:25:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner